



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092020-221754
CG-DL-E-16092020-221754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2791]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 2791]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 24020/BHADRA 24, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2020

का.आ. 3139(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1448(अ) तारीख 11 मई, 2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH327E(सुपौल-बरियाही खण्ड) के कि.मी. 194.00 से कि.मी. 195.00 तक के भूखण्ड पर ROB के निर्माण (ROB के निर्माण / पथ चौड़ीकरण आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख " 10 जून, 2020 को "द टाइम्स ऑफ़ इंडिया " और "दैनिक भास्कर" में प्रकाशित किया गया था;

और शून्य आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया गया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सुपौल, बिहार की उक्त रिपोर्टें प्राप्त हो जाने और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के सुपौल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 327E (सुपौल-बरियाही खण्ड) के किमी. 194.00 से किमी.

195.00 के अन्तर्गत संचरना सहित अथवा संचरना रहित भू-अर्जन की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: सुपौल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सुपौल				
	गांव का नाम: खरैल				
1	1372	सरकारी	भूमि खली है	0.0014	बिहार सरकार (१३७२)
2	301	निजी	व्यावसायिक	0.0007	सुमन कुमार चौधरी वो जयप्रकाश चौधरी वो राजेश कुमार चौधरी पे०-चंद्रशेखर चौधरी वो रतन सिंह (३०१)
3	302	निजी	व्यावसायिक	0.0003	विजय यादव पे०-विनायक प्रसाद यादव (३०२)
4	4	सरकारी	भूमि खली है	0.0032	सरकारी (४)
5	5	निजी	व्यावसायिक	0.0052	राजा मुस्ताक आलम पे०-मतिउर रहमान वो ईरसद हुसैन पे०- कमल हुसैन वो साबिहा रहमान पत्ति-प्रवेज नायर वो मो०-ईकबाल पे०-सराफत हुसैन वो प्रवेज नैयर इत्यादि.. (५)

6	50	निजी	व्यावसायिक	0.0111	शैलेन्द्र कुमार सिंह वो समरेन्द्र कुमार सिंह पे०-नागेन्द्र प्रसाद सिंह वो राजीव कुमार सिंह वो संजीव कुमार सिंह वो अजीत कुमार सिंह पे०-रामवर्ध प्रसाद सिंह एवं दक्षिण दिशा में रास्ता (५०)
7	52	निजी	व्यावसायिक	0.0077	मुन्ना सिंह पे०-अशोक कुमार सिंह (५२)
8	53	निजी	व्यावसायिक	0.0021	मुन्ना सिंह पे०-अशोक कुमार सिंह (५३)
9	56	निजी	व्यावसायिक	0.0004	मयंक कुमार पे०-महेश प्रसाद सिंह (५६)
10	6	निजी	व्यावसायिक	0.0026	गुलाब चौधरी वो नारायण चौधरी पे०-राजेंद्र चौधरी (६)
11	7	निजी	व्यावसायिक	0.002	सुमन कुमार चौधरी वो जयप्रकाश चौधरी वो राजेश कुमार चौधरी पे०-चंद्रशेखर चौधरी वो रतन सिंह (७)
			कुल	0.0367	

[फा. सं. RW/PAT/NH-327E/KM194/ROB/LA/2019-20/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2020

S.O. 3139(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1448(E) dated 11th May, 2020 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of ROB (Construction of ROB / Lane widening, etc.), maintenance, management and operation of **National Highway No. 327E, in the stretch of land from Km. 194.00 to Km. 195.00 (Supaul- Bariyahi Section) in the district of Supaul, in the State of Bihar.**

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Times of India” and “Dainik Bhaskar” dated 10th June, 2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;
And whereas Zero objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, namely, the **District Land Acquisition Officer, Supaul**, Bihar, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land in Km 194.00 to Km 195.00 (Supaul - Bariyahi Section) of National Highway No. 327E in the district of Supaul, in the State of Bihar.

State: BIHAR		District: SUPAUL			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Supaul				
	Village: Kharail				
1	1372	Government	evacuated	0.0014	Bihar Government 1372
2	301	Private	Commercial	0.0007	Suman Kumar Chaudhary, Jayprakash Chaudhary & Rajesh Kumar Chaudhary S/o-Chandrasekhar Chaudhary and Ratan Singh 301
3	302	Private	Commercial	0.0003	Vijay Yadav S/o- Vinayak Prasad Yadav 302
4	4	Government	evacuated	0.0032	Government 4
5	5	Private	Commercial	0.0052	Raja Mustak Alam S/o- Matuiar Rahman and Irshad Husain S/o- Kamal Husain and Sabiha Rahman W/o-Parvej Nayar and Mohmad Ikbāl S/o- Sarafat Husain and Pravej Naiyar etc. 5
6	50	Private	Commercial	0.0111	Shailendra Kumar Singh & Samrendra Kumar Singh S/o-Nagendra Prasad Singh or Rajeev Kumar Singh, Sanjeev Kumar Singh & Ajeet Kumar Singh S/o- Ramvarth Prasad Singh or Road in South side 50
7	52	Private	Commercial	0.0077	Munna singh S/o- Ashok Kumar Singh 52
8	53	Private	Commercial	0.0021	Munna singh S/o- Ashok Kumar Singh 53
9	56	Private	Commercial	0.0004	Mayank Kumar S/o-Mahesh Kumar Singh 56

10	6	Private	Commercial	0.0026	Gulab Chaudhary & Narayan Chaudhary S/o-Rajendra Chaudhary 6
11	7	Private	Commercial	0.002	Suman Kumar Chaudhary, Jayprakash Chaudhary & Rajesh Kumar Chaudhary S/o- Chandrasekhar Chaudhary or Ratan Singh 7
			TOTAL	0.0367	

[F. No. RW/PAT/NH-327E/KM194/ROB/LA/2019-20/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.